न्यायालय संभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बईजलास राजेन्द्र सिंह शेखावत आई0ए0एस0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्या: 54/2024/अपील/एलआरएक्ट/कैंप कोटा बून्दी
दायरा दिनांक 22.07.2024
अन्तर्गत धारा: अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उनवान

किशनलाल उर्फ किशन गोपाल आत्मज श्री छोटूलाल जाति माली निवासी ग्राम उलेड़ा, तहसील एवं जिला बून्दी

....अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, बून्दी

...रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थित : श्री कमलेश त्रिपाठी अभिभाषक –अपीलांट
रेस्पो0 पेरोकार सरकार – रेस्पो

::निर्णय::

दिनांक 15.04.2025

अपीलार्थी ने न्यायालय जिला कलक्टर, बून्दी (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा प्रकरण संख्या 169/प्रा0पत्र/2017 बउनवान सरकार जरिये तहसीलदार, बून्दी बनाम किशनलाल उर्फ किशनगोपाल में पारित निर्णय दिनांक 18.06.2024 के विरूद्ध प्रथम अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1. प्रस्तुत प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार बून्दी के द्वारा कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन नियम 1970 के नियम 14 (4) के अन्तर्गत दिनांक 21.11.2017 को प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर ग्राम उलेड़ा के खसरा सं0 758 रकबा 2.09 बीघा किस्म बारानी तृतीय जिसे आवंटन आदेश दिनांक 30.09.1986 से अपीलांट/आवंटी किशनलाल उर्फ किशनगोपाल को आवंटित किया गया था। उक्त आवंटित आराजी पर आवंटी का कब्जा काश्त नहीं होकर अन्य छीतर पिता मडा व भंवरलाल पुत्र चतरा उर्फ चर्तुभूज कोम माली निवासी उलेड़ा का कब्जा काश्त होना वर्णित करते हुए आवंटन निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, बून्दी के द्वारा उक्त आशय का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर आवंटी का आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं होने एवं आवंटन शर्तों की पालना नहीं किये जाने से ग्राम उलेड़ा के खसरा सं0 758 रकबा 2.09 बीघा किस्म बारानी तृतीय आवंटन आदेश दिनांक 30.09.1986 को निरस्त किया जाकर सिवायचक दर्ज करने का निर्णय दिनांक 18.06.2024 पारित किया गया।

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

2. अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, बून्दी द्वारा प्रकरण संख्या 169/प्रा0पत्र/2017 बउनवान सरकार जरिये तहसीलदार, बून्दी बनाम किशनलाल उर्फ किशनगोपाल में पारित निर्णय दिनांक 18.06.2024 से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 अन्तर्गत अपील पेश कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 18.06.2024 वस्तुस्थिति, विधान, कानूनी प्रावधानों एवं तथ्यों के सर्वथा विपरित है। प्रार्थना–पत्र 14(4) आवंटन नियम जिस मौका रिपोर्ट दिनांक 19.09.2017 के आधार पर पेश कर कब्जा तथाकथित अन्य व्यक्ति छीतर आत्मज मडा व भंवरलाल पुत्र चतरा का होना अंकित किया है उक्त तथाकथित व्यक्तियों द्वारा दिनांक 08.12.2017 को आवंटी/अपीलांट की उक्त भूमि खसरा सं0 758 रकबा 2.09 बीघा वाके ग्राम उलेड़ा का आवंटन निरस्त करने बाबत् प्रार्थना–पत्र संख्या 168/2017 छीतर बनाम किशन गोपाल पेश की तथा प्रार्थना–पत्र संख्या 226/2018 बउनवान भंवरलाल बनाम किशनगोपाल पेश की जिससे प्रथम दृष्टया ही यह तथ्य सिद्ध होता है कि आवंटी/अपीलांट का आवंटित भूमि खसरा संख्या 758 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा के आवंटन को निरस्त करवाकर भूमि से बेदखल करवाया जाने का प्रयास किया जा रहा है, उक्त तथ्य पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गौर नहीं करके भारी भूल की है, इस कारण उक्त निर्णय निरस्तनीय है। इस प्रकार अपीलांट को आवंटित भूमि से बेदखल करने पर आमादा है, जबकि आवंटित भूमि पर आवंटन के समय से अपीलांट/आवंटी का कब्जा काश्त है। यह यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि उक्त भूमि अपीलांट/आवंटी को दिनांक 30.06.1986 को आवंटन हुई थी, उसके पूर्व से उक्त भूमि पर अपीलांट काबिज काश्त है तथा आवंटन के 10 वर्ष पश्चात् आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त होने के आधार पर सक्षम अधिकारी गैरखातेदारी से खातेदारी अधिकार प्रदान करता है, किंतु राज्य सरकार द्वारा अपने कर्तवय का पालन नहीं किया गया, इस कानूनी बिन्दु पर गौर किये बिना अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया गया, जो निरस्तनीय है। आवंटी/अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 28.06.2022 को मौके की रिपोर्ट मंगवाने बाबत् प्रार्थना–पत्र की पालना में तहसीलदार, बून्दी द्वारा तलब की गई मौका रिपोर्ट दिनांक 22.09.2023 में कब्जा काश्त अपीलांट का होने बाबत् रिपोर्ट पेश की है। इस प्रकार आवंटी भूमिहीन काश्तकार होने से आवंटन सलाहकार समिति द्वारा उक्त भूमि आवंटित की गई तथा आवंटन शर्तों की पालना आवंटी द्वारा की है तथा आवंटन के समय से ही आवंटी निरंतर निर्बाध रूप से काबिज काश्त चला आ रहा है, इसकी पुष्टि तहसीलदार बून्दी द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट दिनांक 22.09.2023 से होती है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 18.06.2024 निरस्त फरमाया जावे।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये नोटिस/सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने पर प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 पेरोकार सरकार सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि आवंटित भूमि पर आवंटन के समय से अपीलांट/आवंटी का कब्जा काश्त है। यह यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि उक्त भूमि अपीलांट/आवंटी को दिनांक 30.06.1986 को आवंटन हुई थी, उसके पूर्व से उक्त भूमि पर अपीलांट काबिज काश्त है तथा आवंटन के 10 वर्ष पश्चात् आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त होने के आधार पर सक्षम अधिकारी गैरखातेदारी से खातेदारी अधिकार प्रदान करता है,

संभागीय आयुक्त

किंतु राज्य सरकार द्वारा अपने कर्तवय का पालन नहीं किया गया, इस कानूनी बिन्दु पर गौर किये बिना अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया गया, जो निरस्तनीय है। आवंटी/अपीलांट द्वारा आवंटी भूमिहीन काश्तकार होने से आवंटन सलाहकार समिति द्वारा उक्त भूमि आवंटित की गई तथा आवंटन शर्तों की पालना आवंटी द्वारा की है तथा आवंटन के समय से ही आवंटी निरंतर निर्बाध रूप से काबिज काश्त चला आ रहा है, इसकी पुष्टि तहसीलदार बून्दी द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट दिनांक 22.09.2023 से होती है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 18.06.2024 निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया।

5. रेस्पो0 पेरोकार सरकार द्वारा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्यायोचित होना प्रकट किया।

6. प्रस्तुत प्रकरण का अवलोकन करने से प्रकट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार बून्दी के द्वारा कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन नियम 1970 के नियम 14 (4) के अन्तर्गत दिनांक 21.11.2017 को प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर ग्राम उलेड़ा के खसरा सं0 758 रकबा 2.09 बीघा किस्म बारानी तृतीय जिसे आवंटन आदेश दिनांक 30.09.1986 से अपीलांट/आवंटी किशनलाल उर्फ किशनगोपाल को आवंटित किया गया था। उक्त आवंटित आराजी पर आवंटी का कब्जा काश्त नहीं होकर अन्य छीतर पिता मडा व भंवरलाल पुत्र चतरा उर्फ चर्तुभूज कोम माली निवासी उलेड़ा का कब्जा काश्त होना वर्णित करते हुए आवंटन निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, बून्दी के द्वारा उक्त आशय का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर आवंटी का आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं होने एवं आवंटन शर्तों की पालना नहीं किये जाने से ग्राम उलेड़ा के खसरा सं0 758 रकबा 2.09 बीघा किस्म बारानी तृतीय आवंटन आदेश दिनांक 30.09. 1986 को निरस्त किया जाकर सिवायचक दर्ज करने का निर्णय दिनांक 18.06.2024 पारित किया गया। प्रश्नगत प्रकरण में अपीलांट का मुख्य तर्क रहा है कि ग्राम उलेड़ा के खसरा सं0 758 रकबा 2.09 बीघा किस्म बारानी तृतीय अपीलांट/आवंटी को दिनांक 30.06.1986 को आवंटन हुई थी, उसके पूर्व से उक्त भूमि पर अपीलांट काबिज काश्त है तथा आवंटी/अपीलांट द्वारा आवंटी भूमिहीन काश्तकार होने से आवंटन सलाहकार समिति द्वारा उक्त भूमि आवंटित की गई तथा आवंटन शर्तों की पालना आवंटी द्वारा की है तथा आवंटन के समय से ही आवंटी निरंतर निर्बाध रूप से काबिज काश्त चला आ रहा है, इसकी पुष्टि तहसीलदार बून्दी द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट दिनांक 22.09.2023 से होती है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचनानुसार प्रकरण का अवलोकन करने पर स्पष्ट होता है कि जिला कलक्टर, बून्दी के मि.सं. 169/प्रार्थना–पत्र/2017 बउनवान सरकार जरिये तहसीलदार बून्दी बनाम किशनलाल आ0 छोटूलाल में पत्रांक 979 दिनांक 04.08.2023 से तहसीलदार (भू.अभि.), बून्दी से मौका रिपोर्ट चाही जाने पर तहसीलदार, बून्दी के द्वारा पटवारी हल्का से प्राप्त रिपोर्ट (भू.अ. निरीक्षक वृत्त गुढानाथवतान वाके ग्राम उलेड़ा से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 25.08.2023) अनुसार "वादग्रस्त आराजी खसरा सं0 758 रकबा 2.09 बीघा वाके ग्राम उलेड़ा पर किशनगोपाल आत्मज छोटूलाल जाति माली वर्ष 2017 से अभी वर्तमान तक काश्त करता चला आ रहा है तथा उक्त आराजी राजस्व रिकोर्ड में किशनगोपाल आत्मज छोटूलाल जाति माली गैरखातेदार दर्ज है" अंकित गया है। इस प्रकार प्रश्नगत प्रकरण में जिला कलक्टर, बून्दी के द्वारा प्रकरण में प्राप्त मौका रिपोर्ट

दिनांक 22.09.2023 से आराजी खसरा सं0 758 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा वाके ग्राम उलेड़ा पर आवंटी/अपीलांट का कब्जाकाश्त होना साबित होता है। ऐसी स्थिति में आवंटित भूमि पर आवंटन आदेश दिनांक 30.09.1986 के 31 वर्ष पश्चात् तहसीलदार, बून्दी के प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के अन्तर्गत दिनांक 21.11.2017 अनुसार अन्य व्यक्ति का कब्जाकाश्त होने तथा आवंटन शर्तों की पालना नहीं किये जाने का तर्क उचित प्रकट नहीं होता है। इस प्रकार प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.06.2024 को न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता है। परिणामस्वरूप अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर न्यायालय जिला कलक्टर, बून्दी द्वारा प्रकरण संख्या 169/प्रा0पत्र/2017 बउनवान सरकार जरिये तहसीलदार, बून्दी बनाम किशनलाल उर्फ किशनगोपाल में पारित निर्णय दिनांक 18.06.2024 अपास्त किया जाता है। आवंटन आदेश दिनांक 30.09.1986 खसरा सं0 758 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा वाके ग्राम उलेड़ा बहाल रखा जाता है।

7. निर्णय आज दिनांक 15.04.2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर जारी किया गया।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
संभागीय आयुक्त
कोटा